



Handwritten notes in Hindi, including a signature and the date '9.2.15'.

महाराष्ट्र राज्य सरकार  
 सचिव, न्याय विभाग  
 46/13/15  
 23-I A with the permission  
 by S. D. O. Simdega vide  
 order dated 28-1-15

Handwritten signature and date '09-2-15'.

लेख्यकारो:- श्री चुमन कोनगाडी पिता स्व० सामेल कोनगाडी  
 जाति- मुण्डा, पेशा- खेताबारी, निवास ग्राम-सलडेगा कुम्हारटोली  
 थाना- सिमडेगा, जिला- सिमडेगा ।

... .. बिक्रेता ।

शमथ-पत्र संख्या:- 46/2015

Handwritten notes in Hindi, including a signature and the date '9.2.15'.



--2--

§2§ लेख्यधारिणी:- मो० लाली देवी पति स्व० जनक लोहरा  
जाति- लोहरा, पेशा- गृहिणी, निवास ग्राम- सलडेगा,  
थाना- सिमडेगा, जिला- सिमडेगा ।

.. भारतीय नागरिक .. क्रेतिका ।

शपथ-पत्र संख्या:-

47/2015

§3§ लेख्यप्रकार:- विक्रय पत्र केवाला वैला कलामी पुत्र पुत्रादिक  
सदा सर्वदा के लिए होता है ।

§4§ मूल्य:- मोबालिग दो लाख तीस हजार रुपये अंके 2.30.000/-  
रुपये होता है ।

§5§ सम्पात:- एराजियात अन्दर मौजा- सलडेगा, थाना-  
सिमडेगा, थाना नं० 117. सदर रजिस्ट्री ऑफिस वो जिला-  
सिमडेगा के खाता नं० 30 {तीस} प्लॉट नं० 883 {आठ सौ  
तिरासी} रकबा 0.06 एकड़ {छः डिसमिल} शहरी क्षेत्र के  
चार भागों में से विक्रय वाली जमीन आवासीय क्षेत्र में पड़ता  
है जिसपर किसी प्रकार का मकान या निर्माण नहीं है ।

जिसकी चौहद्दी:-

उत्तर:- इसी प्लॉट का अंश,

दक्षिण:- इसी प्लॉट का अंश,

पूरब :- इलियस कोनगाड़ी का दोन.

पश्चिम:- इसी प्लॉट में छोड़ा गया 10 फीट का कच्चा रास्ता ।  
मालगुजारी 5 पैसा {पाँच पैसा} अलावे सेस सलाना ।

मो० लाली देवी  
पति स्व० जनक लोहरा  
1.2.15



समशान्त बासकाड  
पति स्व० लोहरा  
ग्राम - सलडेगा  
जिला - सिमडेगा  
थाना - सिमडेगा



--3--

११४ वुँकि मुझ लेख्यकारी को बाड़ी बनाने एवं अन्य दीगर घरेलू खर्च के लिए रूपयों की जरूरत पड़ी जिसकी व्यवस्था जमोन बेचे वगैर सम्भव न हुई और तब मैंने लेख्यधारिणी से मेरी जमोन खरीदने की प्रार्थना की जिसे उन्होंने खरीदना एवं रूपये देना स्वीकार किया ।

१२४ इसलिये मैंने अपनी इच्छा से शरीर वो मन की स्वस्थता में रहकर उपर खाना संख्या पाँच में वर्णित जमीन को उक्त लेख्यधारिणी के हाथ नगद कीमत चुकता पाकर बेचा और बेची गई जमीन का कुल हक दखल वो अधिकार उक्त लेख्यधारिणी वो उनके उत्तराधिकारियों के हाथ सदा दिन के लिए हस्तान्तरित कर दिया । अब से बेची गई जमीन पर न मेरा कोई हक सरोकार रहा और न मेरे किसी उत्तराधिकारी या स्थानापन्न का कोई हक सरोकार रहा और न आइन्दा रहेगा ।

१३४ मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि विक्रीत वर्णित जमोन खतियानी है । खतियान में मेरे दादा टाकु मुण्डा वगैरह के नाम से नाप दर्ज है । उत्तराधिकारी दाखिल खारिज वाद संख्या 624 आर 27/09-10 के द्वारा दाखिल खारिज होकर मालगुजारी रसीद मेरे पिता सामेल मुण्डा वगैरह के नाम से कटता है । मेरे दादा एवं पिता की मृत्यु हो चुकी है । उनकी मृत्यु के बाद जमीन का आपसी मौखिक भैयादो बँटवारा हो चुका है । जो जमीन मैं बेच रहा हूँ मेरे निज हिस्से की जमीन है जिसपर मेरा निर्विवाद हक दखल वो कब्जा है और किसी प्रकार का वाद या झगड़ा झंझट नहीं है ।

*Handwritten signature and date: 9.2.15*





--4--

§4§ वुँकि हम उभय पक्ष आदिवासी समुदाय के सुरक्षित सदस्य हैं अतः जमीन खरोद बिक्री हेतु अनुमति के लिए श्रीमान् उप समाहत्ता भूमि सुधार, सिमडेगा के न्यायालय में छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम को धारा 46 के तहत आवेदन दिया । जिसका वाद संख्या 606 आर 811/2013-14 है जिसको स्वीकृति दिनांक 28.1.15 को प्राप्त हुई एवं जिसका ज्ञापक 79१११ दिनांक 28.1.15 है ।

§5§ अब चाहिए कि लेख्यधारिणी अपनी जमीन पर काविज वो दखलकार होकर अपना जैसा फायदा का समझें अपने उपयोग में लावें वो झारखण्ड सरकार वजरिये अंचल अधिकारी, सिमडेगा के कार्यालय से अपने नाम पर दाखिल खारिज कराकर तारोख लेख्य से व अदाय मालगुजारी के रसीद खास नाम से हासिल किया करें ।

§6§ इसलिए यह विक्रय पत्र केवाला वैला कलामो सदा दिन के लिए लिख दिया कि प्रमाण रहे वो वक्त जरूरत पर काम आवे ।

उक्त बिक्री की जानेवाली जमीन भू-हदबंदी, कैसरे हिन्द, खास महल, सैरात, लोज, भू-दान, बंदोवस्ती, गैर मजरुआ के तहत नहीं है ।

*Handwritten signature and date: 9.12.15*



--5--

मैं लेख्यकारी यह घोषणा करता हूँ कि विक्रीत जमीन वो बचत जमीन सिलिंग के अन्तर्गत नहीं आता है ।



हस्ताक्षर  
 पुष्पक कुमारी  
 9.2.15

पुष्पक कुमारी  
 9.2.15

प्रमाणित किया जाता है कि लेख्यकारी के द्वारा सच का पांचा अंगुलिका का दाप मेरे समक्ष लिया गया ।

सजय कुमार मर्हता  
 अधिवक्ता  
 09.02.2015



मैं लेख्यधारिणी यह घोषणा करती हूँ कि पूर्व में धारित जमीन वो खरोदगा के बाद कुल धारित जमीन सिलिंग के अन्तर्गत नहीं आता है ।



जाली देवी  
 9/2/15

प्रमाणित किया जाता है कि लेख्यकारी के द्वारा सच का पांचा अंगुलिका का दाप मेरे समक्ष लिया गया ।

सजय कुमार मर्हता  
 अधिवक्ता  
 09.02.2015





--6--

उभय पक्षों के कहे अनुसार इस विक्रय पत्र दस्तावेज का प्रारूप तैयार किया एवं उनको गवाहों के समक्ष पढ़कर सुना वो समझा दिया जिसे उन्होंने स्वीकार किया ।

सही/- संजय कुमार मल्ल  
अधिकारी  
प्रारूपकर्ता  
तारीख:- 09.02.2015

*[Handwritten signatures and date]*  
09.2.15

